HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10226/2024

Vijay Kumar @ Biju S/o Shri Mangla Ram, Aged About 36 Years, R/o Roopsar Bas, Tausar, P.s. Kotwali Nagaur, District Nagaur.
(At Present Lodged In District Jail Nagaur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vishal Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Narendra Gehlot, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

30/08/2024

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता पुलिस थाना कोतवाली नागौर जिला नागौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 288/2024, अपराध अन्तर्गत धारा 384, 354 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. हमने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में पीड़िता द्वारा पूर्व में भी प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा करवाया गया था जिसका निर्णय विशिष्ट न्यायाधीश, (पोक्सो एक्ट केसेज) संख्या 02, मेड़ता द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 42/2023 स्टेट बनाम विजयकुमार उर्फ विजू में दिनांक 20.01.2024 को किया गया और प्रार्थी–अभियुक्त को धारा 363, 344, 376(2)(एन), 376(डी)(ए) भारतीय दण्ड संहिता व धारा 5(जी)(एल)/6 पोक्सो अधिनियम, 2012 में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया गया और इस निर्णय में ही यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि पूर्व में नरेन्द्रसिंह नाम के व्यक्ति के विरूद्ध बलात्कार किये जाने का कथन करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस आधार पर झूठा माना गया कि नरेन्द्रसिंह ने परिवादिया के विरूद्ध धारा 138 एनआई एक्ट के तहत परिवाद पेश किया गया था, जिससे बचने के लिए झूठा मुकदमा करवाया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले मे

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.07.2024 में ही यह अंकित किया है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अपने आदेश के द्वारा इस बात को स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित कर दिया है कि जबकि सक्षम न्यायालय के निर्णय में पीड़िता को बालिग घोषित किया जा चुका है तो ऐसी अवस्था में प्रकरण पोस्सो अधिनिमय के तहत सुनवाई योग्य शेष नहीं रहता है। इस आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम का मामला नहीं माना जा सकता है। पीड़िता द्वारा झूठा मुकदमा प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज करवाया गया है। इस मामले में चालान पेश किया जा चुका है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. जमानत आवेदन पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत पूर्व के निर्णय दिनांकित 20.01.2024 व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2024 में किये गये विवेचन और चालान और उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी–अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **विजय कुमार उर्फ बीजू पुत्र मंगलाराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

44-SN LOHRA/-